आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

(1.) प्रकरण संख्या 625/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

बैंक ऑफ इण्डिया, लक्ष्मी कॉम्पलेक्स बिल्डिंग, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स तिजारिया पॉलीपाईप्स लिमिटेड,
   पताः– एसपी–1–2316, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा विस्तार, जयपुर।
2. श्री आलोक जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
3. श्री विकास जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
4. श्री प्रवीण जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
5. श्री विनीत जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
   पताः– एसपी–1–2316, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा विस्तार, जयपुर।
   एवं एफ–32, तिजारिया कुंज, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
6. श्रीमती अनु जैन तिजारिया पत्नी श्री आलोक जैन तिजारिया,
7. श्रीमती रीमा जैन पत्नी श्री विकास जैन तिजारिया,
8. श्रीमती सोनल जैन पत्नी श्री विनीत जैन तिजारिया,
9. श्री रमेश चंद जैन पुत्र श्री दौलतराम जैन,
   पताः– एफ–32, तिजारिया कुंज, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
10. मैसर्स तिजारिया विनाइल प्रा. लि.,
11. मैसर्स तिजारिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
   पताः– ए–130(एच), रोड़ नं. 9 डी, वी.के.आई. एरिया, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

(2.) प्रकरण संख्या 626/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

बैंक ऑफ इण्डिया, लक्ष्मी कॉम्पलेक्स बिल्डिंग, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स तिजारिया पॉलीपाईप्स लिमिटेड,
   पताः– एसपी–1–2316, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा विस्तार, जयपुर।
2. श्री आलोक जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
3. श्री विकास जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
4. श्री प्रवीण जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
5. श्री विनीत जैन तिजारिया पुत्र श्री रमेश जैन,
   पताः– एसपी–1–2316, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा विस्तार, जयपुर।
   एवं एफ–32, तिजारिया कुंज, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

6. श्रीमती अनु जैन तिजारिया पत्नी श्री आलोक जैन तिजारिया,
7. श्रीमती रीमा जैन पत्नी श्री विकास जैन तिजारिया,
8. श्रीमती सोनल जैन पत्नी श्री विनीत जैन तिजारिया,
9. श्री रमेश चंद जैन पुत्र श्री दौलतराम जैन,
   पताः– एफ–32, तिजारिया कुंज, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
10. मैसर्स तिजारिया विनाइल प्रा. लि.,
11. मैसर्स तिजारिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
    पताः– ए–130(एच), रोड़ नं. 9 डी, वी.के.आई. एरिया, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता, प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश **दिनांक 20.10.2022**

1. प्रकरण संख्या 625/2022 एवं 626/2022 में ऋणी अप्रार्थीगण, ऋण खाता संख्या में ऋण राशि एवं 13(2) का नोटिस समान होने से दोनो पत्रावलियों में एक ही आदेश पारित किया जा रहा है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु दिनांक 11.02.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री आलोक जैन तिजारिया, श्री विकास जैन तिजारिया, श्री प्रवीण जैन तिजारिया एवं श्री विनीत जैन तिजारिया पुत्रान श्री रमेश जैन के संयुक्त स्वामित्व की आवासीय सम्पति एफ–32, तिजारिया कुंज, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 563.80 वर्गगज एवं अप्रार्थी मैसर्स तिजारिया पॉलीपाईप्स लिमिटेड जरिये निदेशक श्री आलोक जैन तिजारिया एवं तिजारिया इण्डस्ट्रीज लि. जरिये निदेशक श्री विकास जैन तिजारिया के संयुक्त स्वामित्व की संपरिवर्तित पट्टेशुदा सम्पति खसरा संख्या 1356/2, ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, कुल क्षेत्रफल 9406.61 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 76,38,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 76,38,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 72,36,72,291.10/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.07.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस पर आपत्तियां प्रस्तुत की गई, जिस पर वित्तीय बैंक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर अप्रार्थीगण को सूचित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री आलोक जैन तिजारिया, श्री विकास जैन तिजारिया, श्री प्रवीण जैन तिजारिया एवं श्री विनीत जैन तिजारिया पुत्रान श्री रमेश जैन के संयुक्त स्वामित्व की आवासीय सम्पति एफ–32, तिजारिया कुंज, धीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 563.80 वर्गगज एवं अप्रार्थी मैसर्स तिजारिया पॉलीपाईप्स लिमिटेड जरिये निदेशक श्री आलोक जैन तिजारिया एवं तिजारिया इण्डस्ट्रीज लि. जरिये निदेशक श्री विकास जैन तिजारिया के संयुक्त स्वामित्व की संपरिवर्तित पट्टेशुदा सम्पति खसरा संख्या 1356/2, ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, कुल क्षेत्रफल 9406.61 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे।
7. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। आदेश की प्रति दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक **20.10.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर